सं.3(6)/2021-पी&पीडब्ल्यू(एच)-7083

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

8वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली,
दिनांक: 09 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने के लिए निदेशित किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले के प्रसंस्करण और पेंशन एवं उपदान के भुगतान से संबंधित प्रत्येक गतिविधि के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत समयसीमा निर्धारित की गई है। इस समयसीमा के अनुसार, सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पूर्व सेवा का सत्यापन और अन्य उपक्रमात्मक कार्य की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व प्रपत्र जमा करना चाहिए, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन मामले को सेवानिवृत्ति से चार माह पूर्व पेंशन और लेखा कार्यालय को भेजना चाहिए और पीएओ द्वारा सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व पीपीओ जारी किया जाना चाहिए और इसे सीपीएओ को भेजना चाहिए। तदुपरान्त, सीपीएओ द्वारा 21 दिनों के भीतर विशेष सील प्राधिकरण जारी किया जाना आवश्यक है।

2. इस विभाग के दिनांक 01.08.2017 के का.ज्ञा. सं.1/27/2011-पी&पीडब्ल्यू(ई) के द्वारा पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के समय अन्य सेवानिवृत्ति बकायों के साथ पीपीओ की प्रति उन्हें सौंपने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों में उन मामलों में, जहां किसी सरकारी सेवक को उसके पेंशन और उपदान को अंतिम रूप देने से पहले सेवानिवृत्त होने की संभावना है, अनंतिम पेंशन की संस्वीकृति के लिए भी प्रावधान है।

3. ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली '**भविष्य**', प्रशासनिक प्राधिकरणों सहित वैयक्तिक द्वारा पेंशन संस्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पेंशन संस्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता है। इसलिए, यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को पेंशन संबंधी हितलाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बहुत उपयोगी है।

4. नियमों/निर्देशों में निर्धारित समयसीमा और '**भविष्य**' के माध्यम से प्रक्रियाओं के सरलीकरण/सुसंगत करने के बावजूद, पीपीओ जारी होने और सेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतान में देरी होने से संबंधित बड़ी संख्या में मामले अभी भी जारी है। सेवानिवृत्ति के बाद कई महीनों तक सेवानिवृत्ति बकायों का भुगतान न होने से संबंधित सीपेनग्राम्स पर शिकायतों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत पंजीकृत किया गया है। सेवानिवृत्ति बकायों के निपटान में विलंब परिहार्य मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है। कई मामलों में, अदालतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के अलावा, प्रभावित पेंशनभोगियों को विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

5. सभी मामलों में सेवानिवृत्ति के बकायों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन मामलों की प्रगति की नियमित रूप से संगठन प्रमुखों और विभागाध्यक्षों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। पेंशन मामलों के प्रसंस्करण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय/विभाग में एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए '**भविष्य**' सॉफ्टवेयर से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।

6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सबसे उपयुक्त अवसरों में से एक है जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति बकायों के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, प्रत्येक विदाई समारोह में, संगठनों/विभागों/कार्यालयों के प्रमुख उस संगठन/विभाग/कार्यालय के सभी कर्मचारियों की पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जो अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जहां भी किसी पेंशन मामले का प्रसंस्करण समय से पीछे पाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कार्रवाई की जानी चाहिए कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सभी सेवानिवृत्ति बकायों का भुगतान समय पर किया जा सके।

7. प्रत्येक विभाग/संगठन/कार्यालय द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव को एक अर्धवार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों के विवरण शामिल हों, जिनके मामले में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने के दो माह से अधिक समय बाद विलंब से पीपीओ जारी हुए हैं। विवरण में पीपीओ जारी करने में विलंब के कारण और भविष्य में ऐसी विलंब से बचने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किये जाए।

8. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों की सख्ती से अनुपालन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यालयों/फील्ड संगठनों के संज्ञान में लाएं।

राजेश कुमार

(राजेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का प्रशासनिक प्रभाग, सख्ती से अनुपालन के लिए।

2. एन.आई.सी: इस विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।